न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12(RTI)/11/2025 रजि० नं0 2025/426 प्रवेश तिथि 29.10.2025

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
विनोद कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मंढा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0) हाल निवासी ए–21, एस.एफ.–5, एस.एल.एफ. वेद विहार लोनी गाजीयाबास उत्तर– प्रदेश	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 08.04.2026

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 448804947464349 दिनांक 05.10.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमांक 1608 दिनांक 29.10.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 07.11.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।

4–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्राक लोक. सूचना /2005/1665 दिनाक 06.11.2025 के द्वारा जवाब पेश किया गया है, मुताबिक जवाब के अपेक्षित सूचना अपीलार्थी पूर्व पत्राक 1557 दिनाक 15.10.2025 के द्वारा भिजवायी जा चुकि है, जिसकी प्रति संलग्न की गयी है। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, अपीलार्थी द्वारा पेश ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 448804947464349 दिनांक 05.10.2025 में वर्णित सूचनाओ के बाबत की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को पूर्व में ही भिजवायी जा चूकि है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विधिवत कार्यवाही की गयी है।

5–पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6–अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7–आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)